प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यू. पी.सी.आर. क्रमांक **1055/2019**

आदेश आरक्षित दिनांक **: 28.07.2021**

आदेश पारित दिनांक **: 07.09.2021**

1. प्रदीप कुमार आर्य पिता एन.आर. आर्या, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी इंद्रसेन नगर, 27 खोली, थाना-सिविल लाइन्स, बिलासपुर (सी.जी.)
2. एकता साहू, पिता स्वर्गीय गिरजा शंकर साहू, पति प्रदीप कुमार आर्य, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी गोल बाजार, निकट मानसरोवर, आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

---- **याचिकाकर्ता**

//बनाम//

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के माध्यम से, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2. थाना प्रभारी, प्रभारी के माध्यम से, पुलिस स्टेशन- महिला थाना बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
3. शिकायतकर्ता/ए०बी०सी०डी० पिता एक्स०वाई०जेड० उम्र लगभग 42 वर्ष, पोस्ट नगर निरीक्षक, सीआईडी शाखा, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

---- उत्तरवादी

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता **की ओर से** वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.एन०के० शुक्ला एवं श्री पराग कोटेचा **अधिवक्ता।**
राज्य/उत्तरवादी क्र० **01** एवं **02 की ओर से** श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह उप०महाधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 03 की ओर से श्री नीरज चौबे **अधिवक्ता।**

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास

सीएवी आदेश

1. याचिकाकर्ताओं ने यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस हेतु दायर की है कि महिला थाना बिलासपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 49/18 अंतर्गत धारा 376, 376-एफ, 377, 313, 114, 506-बी, 323 और 34 भा०द०सं० एवं इससे संबंधित प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन व सत्र

न्यायालय(अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०) बिलासपुर (छ०ग०)) के समक्ष विचारधीन प्रकरण क्रमांक 101/2019 की कार्यवाही को रद्द किया जाए।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 पुलिस विभाग में पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत है, शिकायतकर्ता/ उत्तरवादी क्रमांक 3 भी पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। याचिकाकर्ता क्र० 1 और उत्तरवादी क्रमांक 3 को दिनांक 14.09.2011 (अनुलग्रक पी/2) को उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। पुलिस विभाग में याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का प्रदर्शन उत्कृष्ट था, जिसके कारण उसकी बारी से पहले उसे दिनांक 30.12.2016 को निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। उसे विभाग से कई प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुए। शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 3 जिसे भी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था द्वारा दिनांक 07.09.2018 को याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.02.2012 प्रातः लगभग 9-10 बजे याचिकाकर्ता क्रमांक 1 आया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गयी। उसके द्वारा आगे यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 की मदद से उसका गर्भपात भी कराया गया। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का कई लड़कियों से संबंध था, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने उत्तरवादी क्रमांक 3 के साथ याचिकाकर्ता क्रमांक 2 की उपस्थिति में संभोग किया इसलिए याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को भी मामले में आरोपी बनाया गया है तथा उसके विरूद्ध धारा 376, 376-एफ, 377, 313, 114, 506-बी, 323 और 34 भ०द०सं० के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 01 एवं उत्तरवादी क्रमांक 03 के मध्य दिनांक 28.02.2015 को एक समझौता (अनुलग्रक पी/7) निष्पादित किया गया है जिसके अनुसार विश्वनाथ अपार्टमेंट के द्वितीय तल पर स्थित फ्लैट क्रमांक 302 को दोनों पक्ष के बराबर हिस्सेदारी से खरीदा गया था और दोनों पक्षों की सहमति से याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का नाम अभिलेखों में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता

द्वारा आगे यह तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता क्र० 01 द्वारा उत्तरवादी क्र० 03 के साथ शादी का प्रलोभन देकर यौन संबंध बनाए जाने के संबंध में दर्ज वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट, झूठा और मनगढ़ंत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। उनके द्वारा आगे तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता क्र. 01 शिकायतकर्ता से दो-तीन साल छोटा है। वर्तमान में याचिकाकर्ता क्र० 01 की उम्र लगभग 38 वर्ष है और उत्तरवादी क्रमांक 3 की उम्र करीब 40 वर्ष है। उत्तरवादी क्रमांक 3 बहुत चतुर एवं होशियार व्यक्ति है जिसे कानूनी कार्यवाही का पूरा ज्ञान है एवं उसके द्वारा याचिकाकर्ता का सर्विस कैरियर खराब करने के लिए झूठी और मनगढ़ंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया है। उनका आगे तर्क यह है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो एक निर्दोष को एक ऐसे अपराध में फंसाने के लिए है जो उसके द्वारा किया ही नहीं गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे कहा गया है कि चूँकि उत्तरवादी क्रमांक 3 बालिग महिला है, इसलिए, यह सहमति से किया गया संभोग है और और यह भ०द०सं० की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार की परिभाषा में नहीं आता है। उनके द्वारा इस न्यायालय का ध्यान भ०द०सं० की धारा 375 की ओर आकृष्ट किया गया है जो निम्नानुसार है : -

> "375. बलात्संग- मनुष्य ''बलात्संग करता है, यह कहा जाता है, यदि वह-
>
> (क) अपने लिंग का किसी सीमा तक स्त्री की योनि, मुख, मूत्रनली या गुदा में प्रवेशन करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है; या
>
> (ख) किसी वस्तु या शरीर के ऐसे किसी अंग को, जो लिंग नहीं है, महिला की योनि, मूत्रनली या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है; या
>
> (ग) महिला के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार का हस्तसाधन करता है, जिससे कि ऐसी महिला की योनि, मूत्रनली गुदा या शरीर के किसी

अंग में प्रवेशन कारित किया जाये या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता; या

(घ) अपने मुख को महिला की योनि, गुदा, मूत्रनली पर लगाता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है; या

निम्न सात विवरण में से किसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों के अधीन किया जाता है-

पहला- उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा- उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा- उस स्त्री की सम्मति से, जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा- उस स्त्री की सम्मति से, जबिक वह पुरूष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पांचवा- उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चितता या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवां-उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति से, जबब वह अट्ठारह वर्ष से कम आयु की है।

सातवां- जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण **1** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''योनि'' के अंतर्गत वृहत् भगौष्ठ भी शामिल होगा।

स्पष्टीकरण **2** – सम्मति से ऐसा स्पष्ट स्वैच्छिक करार सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, भावभंगिमाओं या मौखिक या अमौखिक संसूचना के किसी

भी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कार्य में शामिल होने की रजामंदी संसूचित करती है :

परंतु यह कि वह स्त्री, जो शारीरिक रूप से प्रवेशन के कार्य का प्रतिरोध नहीं करती, केवल उसी तथ्य के कारण यौन क्रिया-कलाप में सम्मति देने वालाल नहीं माना जाएगा।

अपवाद 1- चिकित्सीय प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं करेगा।

अपवाद 2- किसी पुरूष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ, यदि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि शिकायतकर्ता/उत्तरवादी क्रमांक 3, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और उसके परिवार के सदस्यों को धमकी दी गयी कि वह उन्हें झूठे मामले में फंसा देगी। उनके द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु इस न्यायालय का ध्यान रोजनामचा सन्हा (अनुलग्नक पी/8) की ओर आकृष्ट किया गया है एवं यह तर्क किया गया है कि जहां तक गर्भपात का प्रश्न है, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 वहां उपस्थित नहीं था क्योंकि उस समय याचिकाकर्ता ड्यूटी पर था जो गर्भपात वाली जगह से काफी दूरी पर है। वर्तमान मामला कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट मे लगाए गए आरोप इतने निराधार और स्वाभाविक रूप से असंभव है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह व्यक्त किया गया है कि उत्तरवादी क्र० 03 के बहन द्वारा यह कथन किया गया है कि उनके फ्लैट के पूजा के समय याचिकाकर्ता क्र० 01 एवं उत्तरवादी क्र० 03 पति पत्नी के रूप में बैठे थे। उनके द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 एक परिपक्व महिला है, वह इस बात से पूरी तरह परिचित है कि शादी से पहले किसी पुरुष के साथ संभोग करने का क्या परिणाम होता है। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा यौन संबंध के लिए ली गयी सहमति

धोखाधड़ी या प्रलोभन से ली गयी थी। वर्तमान मामले में आवश्यक तत्वों की कमी है इसलिए विवाह का प्रलोभन इस प्रकार के मामले में प्रलोभन नहीं कहा जा सकता।

7. उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2009) 9** एससीसी **608,** डॉ. ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम. महाराष्ट्र राज्य **(2019) 18** एससी **191,** नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ**, (2018) 10** एससी **1,** भवानी शवरा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **2012** सीआरएलजे **4418,** उदय बनाम कर्नाटक राज्य **2003** एससीसी **(**सीआरआई**) 775, 2014** एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे **348,** एआईआर **1998** एससी **128,** एआईआर **2018** एससी **4321, 1998** सीआर.एलजे **321** और एआईआर ऑनलाइन **2020** मद्रास **2206**।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीयन के उपरांत उत्तरवादी क्रमांक 3/शिकायतकर्ता को इस मंशा के साथ महिला थाना बिलासपुर, जहां याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है, में स्थानांतरित कर दिया गया है कि वह जांच को प्रभावित कर सकें। याचिकाकर्ता को पहले ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2018 एवं दिनांक 11.12.2018 को अग्रिम जमानत दी गई है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान याचिका स्वीकार की जाए एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके बाद प्रस्तुत अभियोग पत्र, सत्र विचारण क्रमांक 101/19 की कार्यवाही जो अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर के समक्ष लंबित है, को रद्द किया जाए।

9. राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि अनुतोष देने का कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ता अपने प्रकरण को उन मापदण्डों के भीतर लाने पर असमर्थ रहे है जो अभियोग पत्र को रद्द करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजन लाल एवं अन्य

एआईआर **1992** एससी **604** में वर्णित किया गया है। यह रिट याचिका बिना किसी तथ्य के है और अपास्त किये जाने योग्य है।

10. पूर्व में शिकायतकर्ता को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था जिस कारण उसके द्वारा दिनांक 23.06.2021 को हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.06.21 से याचिकाकर्ता को निर्देशित किया कि वह शिकायतकर्ता को पक्षकार/उत्तरवादी क्रमांक 3 के रूप में संयोजित करें तथा उक्त आदेश के पालन में शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री को इस प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक 3 के रूप में जोड़ा गया है।

11. उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 05.07.2021 को जवाब प्रस्तुत कर इस याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उनके द्वारा व्यक्त किया गया है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध गंभीर आरोप है इसलिए वर्तमान रिट याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उनके द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीयन के उपरांत आरक्षी केन्द्र महिला थाना बिलासपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 49/18 में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जो अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), बिलासपुर के न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रमांक 101/19 के रूप में लंबित है। उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि याचिकाकर्ता क्र० 1 पुलिस विभाग में उच्च एवं सम्मानजनक पद पर है एवं उनके द्वारा अपने पद एवं स्थिति का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

13. उनके द्वारा आगे यह व्यक्त किया गया है कि प्रथम सचूना रिपोर्ट दर्ज कराने के पूर्व, तात्कालीक महानिरीक्षक/अधीक्षक के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने मामले की जांच की और दस्तावेज, ऑडियो- वीडियो साक्ष्य को जब्त किया तथा समुचित विवेचना उपरांत उनके द्वारा पर्याप्त तात्विक साक्ष्य पाया गया और दिनांक 19.07.2018 को उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत उक्त रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा संबंधित थाना को अग्रेषित किया गया एवं दिनांक

07.09.2018 को संबंधित प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरूद्ध विधि के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया गया। उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा इस रिट याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 3 के विरूद्ध लगाए गए आरोप निराधार एवं सारहीन है। उनके द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि पर्याप्त विवेचना के उपरांत भौतिक साक्ष्यों की जांच की गई है, इसलिए, इस स्तर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द नहीं किया जा सकता। आगे यह व्यक्त किया गया है कि यह रिट याचिका सारहीन है जिस कारण वह इस न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने योग्य है।

14. याचिकाकर्ताओं एवं उत्तरवादी क्र० 03 के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा रिट याचिका एवं जवाब में लिए गए आधार को दोहराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपराध सहमति से नहीं बल्कि याचिकाकर्ता क्रमांक 01 के द्वारा दिनांक 22.10.2017 को जबरदस्ती किया गया है, जैसा कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने दिनांक 08.09.2018 को दर्ज अपने बयान में बताया है। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का आचरण प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करता है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 कभी भी पीड़िता से शादी करने का इच्छुक नहीं था। उनके द्वारा आगे यह व्यक्त किया गया है कि उत्तरवादी क्र० 03 द्वारा दिनांक 11.12.2018 को बाद में किसी अन्य व्यक्ति के साथ की गयी शादी, याचिकाकर्ता क्र० 01 द्वारा किए गए अपराध को कमजोर नहीं बनाता है। उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत उड़ीसा राज्य बनाम ठाकरा बेसरा,**(2002) 9** एससीसी **86,** कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य **(2011) 7** एससीसी **130** एवं अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, एसएलपी **(क्रि.)** क्रमांक **618/2019, (2019) 13** एससीसी **1** पर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

16. उनके द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 01 का प्रारंभ से ही उत्तरवादी क्रमांक 03 के साथ विवाह करने का आशय नहीं था और शादी

करने का झूठा प्रलोभन देकर उसके द्वारा उत्तरवादी क्र० 03 के साथ यौन संबंध बनाया गया है। इस कारण उत्तरवादी क्र० 03 द्वारा दी गयी सहमति भ०द०सं० की धारा 90 के अनुसार तथ्य के भ्रम में दी गयी सहमति की परिधी में आता है और इस कारण उक्त सहमति अभियुक्त को भ०द०सं० की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार के अपराध से नहीं बचा सकता। उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मध्य प्रदेश राज्य बनाम. लक्ष्मी नारायण एवं अन्य, 2019 (5) एससीसी 688, श्याम नारायण बनाम। राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2013) 7 एससीसी 77, शिम्भू बनाम हरियाणा राज्य (2014) 13 एससीसी 318 एवं मध्यप्रदेश राज्य बनाम मदनलाल (2015) 7 एससीसी 684 पर निर्भर किया गया है।

17. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का पूर्ण संतुष्टी के साथ अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाला बिन्दु यह है कि क्या याचिकाकर्ता क्रमांक 1 द्वारा किया गया अपराध उत्तरवादी क्रमांक 3, जो बालिग महिला है, की सहमति से किया गया और क्या यह बलात्कार के दायरे में नहीं आता है ?

19. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि यह विवादित नहीं है याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और उत्तरवादी क्रमांक 3 दोनों पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं। वर्तमान में याचिकाकर्ता क्रमांक 1 निरीक्षक के रूप में काम कर रहा है जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 वर्तमान में उप निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं एवं पुलिस विभाग में पीटीएस में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने से दोनों एक दूसरे को भली भॉति जानते हैं और इसलिए यह उपधारणा की जा सकती है कि उन दोनों के मध्य घनिष्ठता विकसित हो गई और दोनों के द्वारा आपसी सहमति से संभोग किया गया जिस कारण वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रमोद सूर्यभान पँवार (सुप्रा), प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है:

"21. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया इस ओर इशारा इंगित नहीं करता है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया वादा झूठा है या शिकायतकर्ता उक्त वादा के आधार पर यौन संबंध में शामिल हुयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि जब अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से विवाह करने का वादा किया गया था तब वह दुर्भावनावश था या उसे धोखा देने की नियत से किया गया था। अपीलार्थी का 2008 में किया गया वादा को उसके द्वारा वर्ष 2016 में पूरा किए जाने में विफल रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके द्वारा दिया गया वचन झूठा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोप से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता यह जानती थी कि 2008 से अपीलार्थी के साथ विवाह करने में कठिनाइयां है एवं वह तथा अपीलार्थी उनका विवाह विवादित होने के पश्चात भी लंबे समय तक यौन संबंध में शामिल रहें। इसके बाद भी शिकायतकर्ता अपीलार्थी के साथ उसके पदस्थापना वाली जगह पर जाकर उससे मिलती एवं उसके साथ रहती थी एवं अपीलार्थी को अपने घर में सप्ताहंत में रूकने देती थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप इस तथ्य को झूठलाते है कि वह अपीलार्थी द्वारा दिए गए शादी के प्रलोभन से धोखे में आ गयी थी। अतः यदि शिकातकर्ता के कथनों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर भी लिया जाता है तब भी भ०द०सं की धारा 375 का अपराध नहीं बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत डॉ. ध्रुवराम मुरलीधर सोनार (सुप्रा) प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है:- कंडिका 23, 24

"23. इस प्रकार बलात्कार एवं सहमति से किए गए संभोग में स्पष्ट अंतर है। न्यायालय को ऐसे मामलों में बहुत सावधानी से यह देखना होता है कि शिकायतकर्ता पीडित से वास्तव में विवाह करना चाहता था या उसका आशय दुर्भावनावश था और उसके द्वारा केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने का झूठा वचन दिया गया था क्योंकि यदि ऐसा है तो वह छल अथवा धोखाधडी की परिधी में आता है। इसी प्रकार केवल

एक वादे का उल्लंघन करना और एक झूठा वचन को पूरा न करने में भी अंतर है। यदि आरोपी द्वारा केवल इस आशय से वचन नहीं दिया गया है कि वह अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बना सके तब उसका कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। कोई मामला ऐसा हो सकता है जहां अभियोक्त्री, अभियुक्त के साथ प्रेम के कारण यौन संबंध बनाने के लिए सहमत होती है और न की इस कारण कि अभियुक्त द्वारा उसे भ्रम में रखा गया है या अभियुक्त उन परिस्थिति के कारण अभियोक्त्री से विवाह नहीं कर पाता जो उसके नियंत्रण के बाहर हो जबकि उसका पूरा आशय था कि वह अभियोक्त्री से विवाह करेगा। ऐसे मामलों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। यदि शिकायतकर्ता का कोई भी दुर्भावनापूर्ण मंशा है तब वह स्पष्ट रूप से बलात्कार की श्रेणी में आता है। यदि उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनता है तब वह भ०द०सं० की धारा 376 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"24. वर्तमान मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता मेडिकल अधिकारी के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत था एवं शिकायतकर्ता उसी स्वास्थ्य केंद्र में सहायक नर्स के रूप में कार्यरत थी और वह एक विधवा है। उसका आरोप था कि अपीलार्थी ने उसे बताया कि वह एक शादीशुदा आदमी है और उसका उसके पत्नी से मतभेद है। निर्विदित रूप से वह दोनों विभिन्न समुदायों के थे। अभियुक्त/अपीलार्थी को उनके विवाह पंजीयन के लिए एक महीने का समय चाहिए था। शिकायतकर्ता द्वारा आगे बताया गया है कि वह अपीलार्थी से प्रेम करने लगी थी और विधवा होने के नाते उसे एक साथी की आवश्यकता थी। शिकायतकर्ता के द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ''चूँकि मैं भी विधवा थी और मुझे भी एक साथी की ज़रूरत थी, मैं उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गयी और तब से हमारे बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और तदनुसार हम साथ रहने लगे। हम कभी मेरे घर पर और कभी उसके घर पर रहते थे।" इस प्रकार, वे एक साथ रह रहे थे, कभी उसके घर

पर तो कभी अपीलकर्ता के निवास स्थान पर। उन दोनों का काफी समय तक एक दूसरे के साथ संबंध था और दोनों एक-दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे। यह भी स्पष्ट है कि वे काफी समय से ऐसे ही रह रहे थे। जब उसे पता चला कि अपीलार्थी ने किसी अन्य महिला से शादी कर ली थी तब उसने शिकायत दर्ज करायी। उसका मामला यह नहीं है कि शिकायतकर्ता ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके द्वारा उसके साथ घटित हो रही चीजों पर बुद्धि का प्रयोग कर सक्रिय होने के बाद एक सचेत निर्णय लिया गया। यह निष्क्रियता का मामला नहीं है, उसके द्वारा दी गई सहमति उसके मन में पैदा हुए किसी भ्रम का नतीजा नहीं था। हम उपरोक्त स्थिति में हमारा यह निष्कर्ष है कि यदि शिकायत में लगाए गए सारे आरोप को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए तब भी अपीलार्थी के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। हमारा यह भी मत है कि चूंकि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया बलात्कार के तथ्य को साबित करने में विफल रही है इसलिए धारा 376(2)(बी) के अंतर्गत पंजीकृत शिकायत चलने योग्य नहीं है"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत नवतेज सिंह जौहर (सुप्रा) प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है:-

"267. इस प्रकार धारा 377 भ०द०सं०, जहां तक वह दो वयस्क व्यक्ति के मध्य आपसी सहमति से की गई किसी भी यौन गतिविधि को दंडित करता है, चाहे वे समलैंगिक (पुरुष और एक पुरुष) विषमलैंगिक (पुरुष और एक महिला) और समलैंगिक हों (महिला और एक महिला), संवैधानिक नहीं माना जा सकता परंतु यदि कोई है, जिसके द्वारा हमारा तात्पर्य एक पुरुष और एक महिला दोनों से है, किसी जानवर के साथ किसी प्रकार की यौन गतिविधि में शामिल होते हैं तब भ०द०सं० की धारा 377 का प्रावधान संवैधानिक है और यह धारा 377 भ०द०सं० के तहत दंडनीय अपराध बना रहेगा। धारा 377 भ०द०सं० के विवरण का

कोई भी कार्य यदि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना किए जाए तो वह भ०द०सं० की धारा 377 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। ”

22. उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अति० पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बिलासपुर के द्वारा जांच करायी गयी थी जिसमें दिनांक 19 जुलाई 2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह अभिलिखित किया गया है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 01 द्वारा उत्तरवादी क्र० 03 के साथ शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया गया जिस कारण उत्तरवादी क्र० 03 गर्भवती हो गयी और इसके पश्चात याचिकाकर्ता क्र० 01 ने उत्तरवादी क्र० 03 के साथ विवाह नहीं किया इसलिए उक्त मामला प्रथम दृष्टया अपराध की श्रेणी में आता है। उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत ठाकरा बेसरा (सुप्रा) में निर्धारित विधि के अनुसार, बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है बल्कि यह पीड़ित के संपूर्ण व्यक्तित्व को विचलित कर देता है। उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत कृष्ण कुमार मलिक (सुप्रा) पर बल दिया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मात्र अभियोक्त्री का कथन बलात्कार के मामलो में दोषसिद्धी के लिए पर्याप्त है, जो इस प्रकार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

“31. इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी आरोपी को यदि बलात्कार के अपराध के दोषी ठहराना है तो मात्र अभियोक्त्री का साक्ष्य पर्याप्त है यदि वह विश्वसनीय, बेदाग और स्टर्लिंग गुणवत्ता का होता है परंतु वर्तमान मामले में अभियोक्त्री के साक्ष्य में विभिन्न खामियाँ हैं, जो यह दर्शाता है कि उसका साक्ष्य उपरोक्त श्रेणी में नहीं आता है और उसके साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को कथित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है”

23. उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत अनुराग सोनी (सुप्रा) का उल्लेख किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निष्कर्ष दिया गया है:-

"19. जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, अभियोक्त्री द्वारा दी गयी सहमति तथ्य के भ्रम में दी गई थी। आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा अपराध समाज के विरुद्ध है। बलात्कार समाज का सबसे ज्यादा अनैतिक और शारीरिक रूप से निंदनीय अपराध है, यह पीडिता के शरीर, मन और निजता पर हमला करता है। जैसा कि इस न्यायालय ने अनेको मामलों में देखा है कि, जबकि एक हत्यारा पीडिता के शारीरिक संरचना को नष्ट करता है, एक बलात्कारी एक असहाय स्त्री की आत्मा को अशुद्ध करता है। बलात्कार एक औरत को एक जानवर बना देता है, क्योंकि यह उसके जीवन के मूल आधार को झकझोर देता है। किसी भी तरह से बलात्कार की पीडिता को सहअपराधी नहीं कहा जा सकता। बलात्कार पीडिता के जीवन में स्थायी निशान छोड देता है। बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो पूरे समाज के खिलाफ है और पीड़िता के मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। बलात्कार सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला अपराध है जो एक महिला के सर्वोच्च सम्मान को गंभीर अद्यात पहुंचाता है जो उसके मान एवं सम्मान दोनों को अपमानित करता है। इसलिए केवल इस कारण कि अभियुक्त ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है या अभियोक्त्री ने इसके पश्चात विवाह कर लिया है, आरोपी को धारा 376 भ०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध न करने का कोई कारण नहीं है। अपीलार्थी/आरोपी को उसके द्वारा किए गए अपराध का परिणाम भुगतना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपरोक्त विवेचना एवं तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति को विचार में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने धारा 161 द०प्र०सं० के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में यह बताया है कि याचिकाकर्ता क्र० 01 ने उसके साथ दिनांक 15.02.2012 एवं दिनांक 22.10.2017 को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। उसके द्वारा वर्ष 2014 में दिनांक 05.02.2012 को हुयी घटना एवं याचिकाकर्ता क्र 01 के पश्चातवर्ती आचरण के संबंध में प्रबंधक के समक्ष शिकायत दर्ज किया गया था। उसके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि याचिकाकर्ता

क्र 01 ने उसे प्रतिपात के लिए जबरदस्ती किया और उसके बाद उसे कंवर नर्सिंग होम में गर्भपात के लिए ले गया जहां याचिकाकर्ता क्र 01 ने उसका नाम उसके पत्नी के रूप में दर्ज कराया। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के कारण वह याचिकाकर्ता क्र 01 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विवश हो गयी। इस कथन के द्वारा, उसके द्वारा याचिकाकर्ता क्र 01 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब को समझाने का प्रयास किया गया है, हालांकि उसके कथनों की शुद्धता और वास्तविकता की जांच विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अंकित किए जाने के समय की जा सकती है।

25. जहाँ तक याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 की पश्चातवर्ती शादी, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को भ०द०सं० की धारा 376-एफ के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में उसके आपराधिक दायित्वों से बिना साक्ष्य अंकित किए भी छूट दिला सकते हैं, स्वीकार योग्य नहीं है। इस संबंध में जो विधिक स्थिति है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि आरोपी की अभियोक्त्री के साथ पश्चातवर्ती शादी, आरोपी को उसके आपराधिक दायित्वों से छूट नहीं दिला सकती जब तक कि विचारण में यह साबित न हो जाए कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 01 के द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध किया गया है,इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीयन कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया न्यायदृष्टांत वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न है क्योंकि शिकायतकर्ता ने स्वयं अपने कथन में घटना के बारे में बताया है जो जबरदस्ती हुआ है हालांकि इसकी सत्यता एवं विश्वसनीयता साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के समय परिक्षीत किया जा सकताह है इस कारण याचिकाकर्ता उनके विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं करते हैं।

27. इसके साथ अभियोक्त्री का द०प्र०सं० की धारा के अंतर्गत दर्ज कथन की सत्यता एवं विश्वसनीयता का परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य अंकित किए जाते समय किया जा सकता है। यह न्यायालय द०प्र०सं० की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच नहीं कर सकता है।

28. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए०पी० राज्य बनाम गोलकुंडा लिंगा स्वामी और अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :

> "10. इन सभी मामलों में या तो गवाहों के बयान था या अवैध आसुत शराब की जब्ती थी जिन कारक को बिना प्रासंगिकता के नहीं कहा जा सकता। क्या जो तथ्य पूर्व से ही है अस्तित्व में है या जांच के दौरान एकत्र किया जाना है संबंधित आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा, यह विचारण के समय देखा जाना है। आरोप विरचित करने के समय यह तय किया जा सकता है कि क्या अपराध कारित करने का एवं अभियोजित व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उस स्तर पर भी साक्ष्य पर पूरी बारीकी से गौर नहीं किया जा सकता। यह बात मायने नहीं रखती कि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर। यदि अपराध कारित किए जाने की निश्चितता के विरुद्ध केवल संभावना के संबंध में तथ्य मौजूद है तब आरोप विरचित किया जा सकता है। जैसा कि न्यायदृष्टांत आर.पी. कपूर और भजन लाल के मामले (सुप्रा) में निर्धारित किया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।
>
> 11. अंततः, आरोपी व्यक्तियों पर दोषारोपण स्थापित करने के लिए तथ्यों की ग्राह्यता विचारण का प्रश्न है। ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां यह कहा जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से किसी अपराध का घटित होना दर्शित नहीं हुआ। इसलिए संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जाना उचित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जहां तक आपराधिक अपील क्रमांक 1183/2003, 1193-1196/2003 और एसएलपी (सीआरएल) क्रमांक 2191/2003, 2632/2003,2633/2003, और 3463/2003 से उत्पन्न होने वाली आपराधिक अपीलें का संबंध है, हमारे द्वारा यह पाया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिलिखित तथ्यों को बिना कुछ जोड़े या घटाये भी, प्रथम सूचना रिपोर्ट से किसी अपराध का घटित होना प्रकट नहीं होता। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य पृष्ठभूमि परिदृश्य का विश्वकोश बनना नहीं है, फिर भी कंकालीय विशेषताएं किसी अपराध के घटित होने को प्रकट अवश्य करना चाहिए। इन मामलों में स्थिति वैसी नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप में कोई विधिक त्रुटि नहीं है हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा जो कारण दिए गए हैं उससे हम सहमत नहीं है।"

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत राजीव थापर एवं अन्य बनाम मदन लाल कपूर में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया गया है :-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"28. उच्च न्यायालय को द०प्र०सं० की धारा 482 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का उपयोग करते हुए उचित एवं सही विकल्प अपनाना चाहिए। इस स्तर पर अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी के विरूद्ध लगाए गए आरोपो की सत्यता या अन्यथा का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इसी तरह, यहां यह निर्धारित करने का स्तर नहीं है कि अभियुक्त की ओर से लिया गया बचाव कितना महत्वपूर्ण है। यदि अभियुक्त अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा उस पर लगाए गए आरोपों में कुछ संदेह दर्शित करने में सफल भी हो जाता है तब भी विचारण के पूर्व अभियुक्त को उन्मुक्त किया जाना स्वीकार योग्य नहीं होगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसका परिणाम अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को बिना साक्ष्य लिए अंतिम रूप देना होगा। इसके विपरीत किया जाना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि यदि विचारण किया भी जाता है तब भी आरोपी को कोई अपूर्णिय क्षति कारित नहीं होगी। आरोपी के पास यह अवसर उपलब्ध रहेगा कि वह विधि अनुसार अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर

सफलता प्राप्त कर सकता है। इस न्यायालय द्वारा विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए अनोको निर्णय पारित किए गए है कि, उस मामले में जहां अभियोजन/शिकायतकर्ता ने आरोप में लगाए गये सभी अवयवों को साबित करने के लिए समतल साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता को सिद्ध करते हैं तब उस स्थिति में विचारण होना चाहिए.

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य, में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

"15. हमने उक्त निर्णयों का उल्लेख केवल इस मुद्दे पर जोर देने के लिए किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने से संबंधित प्रकरण में किस प्रकार अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना उचित ठहराया जा सकता है। हम दोहराने की कीमत पर भी यह उल्लेख करते हैं कि उक्त शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से करना होगा और इसका उपयोग वैध अभियोजन का गला घोंटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लगभग चार दशक पहले कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रकरण में जो आश्चर्य व्यक्त किया गया था वह हमें उक्त विवादित आदेश पर आश्चर्य करने के लिए मजबूर करता है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. माननीय उच्चतम न्यायालय ने निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है, प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

"iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग संयम के साथ किया जाना चाहिए, जैसा कि देखा गया है, 'दुर्लभतम मामलों में (के संदर्भ में मृत्यु दण्ड के गठन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए)"।

v) किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की गयी है, न्यायालय इस बिन्दु पर जांच नहीं कर सकती कि प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत में लगाए गए आरोप विश्वसनीय या वास्तविक है या नहीं;

vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए ;

vii) किसी शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करना एक अपवाद होना चाहिए न की सामान्य नियम;

x) उन असाधारण मामलों को छोड कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की हत्या होगी,न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करते कि वह अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य कर सके;

xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट विश्वकोष नहीं है जिसमें अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरण का प्रकटन हो। इसलिए,जब पुलिस की जांच जारी है, न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट जांच करने योग्य नहीं है या यह विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है जैसे धुंधले तथ्यों पर निष्कर्ष आधारित करना जल्दबाजी होगी। यदि जांच के उपरांत अनुसंधान अधिकारी यह पाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कोई सारभूत तथ्य नहीं है, तब अनुसंधान अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित प्रतिवेदन/सारांश प्रस्तुत कर सकता है जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार विचार कर सकता है ;

xiii) द०प्र०सं० की धारा 482 के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति उपयोग करने के लिए न्यायालय को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्ययालय पर अधिक परिश्रमी कर्तव्य और दायित्व अधिरोपित करता है;''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. उपरोक्त विवेचना एवं अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मेरा यह मानना है कि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य कोई मामला नहीं बनता है।

33. परिणामस्वरूप, याचिका विफल हो गयी है और इसे खारिज किया जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है । उपरोक्त तथ्य इस रिट याचिका के निराकरण के लिए विचार में लिए गए हैं। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा वर्तमान रिट याचिका के निराकरण हेतु दिए गए निष्कर्षों से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार आगे कार्यवाही करें।

सही

(नरेन्द्र कुमार व्यास**)**

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**